

## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत राजाशा सं० 194/35-3-2011-07(न्यूनमै०)/04, दिनांक 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरें एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते को 1/28 से कम तथा 1/10 से अधिक दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 (मात्र दो सौ सोलह) अंकों के ऊपर जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 के औसत अंक 253 (मात्र दो सौ तिरिपन) पर दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय है-

**दृष्टान्त :-** रुपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अशुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 253 पर दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-  
(253-216)

$$\times 5750 = \text{रु० } 984.95 \text{ प्रतिमाह}$$

216

विनिम्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं-

क्र. सं.	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक	
			दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक	दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अशुशल	5750.00	665.50	984.95	6734.95	259.04
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	732.05	1083.45	7408.45	284.94
3	कुशल	7085.00	820.02	1213.63	8298.63	319.16

1 वर्ष

### नियोजनों के नाम :-

- खर की विनिर्माणशाला और खर उत्पाद (टावर और टयूर शशित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- निष्पान उद्योग।
- वासित पेयो (एस्टेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी (प्लान्डवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आधेयल पल्प।
- डरी और मिष्क डरी।
- सिले शिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- सोच तटबन्ध के निर्माण और अनुसंधान, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त राजस्वीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान्य धी पुस्तकों।
- दलाई घर।
- घासु उद्योग।
- टिन प्लेट शीशिंग और टिन श्रिटिंग।
- ऐसे अधिवन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हैं।
- घर्म शोधनशाला और घर्म विनिर्माण शाला।
- घर्म दस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी संकर्म।
- निजी पुरतकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक सत्कारें भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- घर्मशाला।
- धानिकी (फारेस्ट्री) जट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य घन उषका का संग्रहण और उसी गवड़ी में ले जाना भी है।
- दुकान।

26/3/15

359  
26/3/15  
404

29. प्राथमिक अतिथिभवन।
28. भवन मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. प्राथमिक परिवहन कर्मशाला।
32. आधुनिकीकरण विशेषज्ञ कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बन्द कर रखने का निर्माण कारियोजना।
34. पत्थर तोड़ने का पथर कूटने।
35. पिकन के कार्य।
36. रियासतगार्ड उद्योग।
37. आइसक्रीम/ आइसकीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39. दूध विनिर्माणशाला।
40. एम्बेस्सटस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41. लकड़ी और घुनगार्ड अतिथिभवन।
42. लिफ्टगाडी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. माटरी, रिफ्रिजिटर या रिफ्रिजिटर।
45. सिजी मूवमालेय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा कपार्ड।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलेक्ट्रिक, आयुर्वेदिक, घुनगी फार्मरी।
50. बल्ल।
51. हथकरघा (मिलक की साडी की घुनगार्ड) उद्योग के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साधन या सिडिमेन्ट या सफुन का घुन का प्रसाधक विनिर्माण।
53. ऊनी काश्मल बनाने के अतिथिभवन।
54. छापणकारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. हथित कालित करपा उद्योग।
57. धौडा (थिनिपर) बन्द एवम् कोंच उत्पादों के निर्माण।
58. कामज, चूना और पत्थर काटने उद्योग।
59. ईंट भट्टा उद्योग।

( सुकेत कुमार )  
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
जले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

### कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०- 840-71 / प्रवर्तन०-(एम०डब्ल्यू०) / 15  
प्रतिलिपि-

दिनांक 24-3-2015

1. समस्त क्षेत्रीय जपर / उप श्रम आयुक्त, 2020 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों/दलानों को जाने पर उपलब्ध कराए।
2. अनुसूचि- 2020 शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय (विज रोड) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. अधिराशी निदेशक उद्योग कंठु लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, (नज्दरत) को नोटिस बॉर्ड पर बरपा करने हेतु।
6. अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
7. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय जपर / उप श्रम आयुक्त एवं सहायक निदेशक, भारत सरकार को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. उप श्रमायुक्त (पुरतकालक) मुख्यालय को सूचनाई / अगिलेदार्थ प्रेषित।
9. समस्त प्रमुख दैनिक समाधान पत्रों को जन सामान्य को जानकारी हेतु अनुरोध में निःशुल्क प्रकाशनाथे।

( सुकेत कुमार )  
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
जले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय उपश्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23 ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।

पत्र सं० 5718-36 / एल०आर०प्रवर्तन-15

दिनांक 01-4-15

उपरोक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सहायक श्रमायुक्त कायबरेली, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी।
- 2- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर।
- 3- समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लखनऊ।

( सुकेत कुमार )  
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
जले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।